© 2019 IJSRST | Volume 6 | Issue 5 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

वैदिक वाड्मय में महिला अधिकार

विपुल शिव सागर
शोधछात्र संस्कृत(जेआरएफ)
नानक चंद एंगलो संस्कृत कॉलेज
संबद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ

महिला शब्द मह+इलच्+आ महिला से मिलकर बना है। मह का अर्थ श्रेष्ठ या पूजा है। अर्थात् जो श्रेष्ठ होती है वही महिला कहलाती है। लौकिक संस्कृति में आदर देने के लिए स्त्रियों के लिए मान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह वस्तुतः मेना शब्द से बना है। जो नारी अर्थ का वाचक है। यास्क कृत निरूक्त (3./21/2) में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई हैं

मानयन्ति एनाः' (पुरूष)
स्त्री अर्थ का एक अन्य बोधक 'ग्ना शब्द भी ऋग्वेद में आया हैं, जो देव पत्नियों के लिए प्रयुक्त होता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यही शब्द मानवी के लिए प्रयुक्त है। यास्क ने इसकी व्याख्या की हैं– **''ग्ना गच्छन्ति एनाः''।** पुरूष ही उसके पास जाते हैं, सम्मानपूर्वक बात करते हैं। उसे पुरूष से अनुनय की आवश्यकता नहीं पड़ती।

भाष्यकार महर्षि पतंजलि के अनुसार **''स्त्यास्यति अस्याँ गर्भ इति स्त्री''**। उसके भीतर गर्भ की स्थिति होने से उसे स्त्री कहा गया है।

नारी शब्द नर की ही तरह नृ धातु से बना है और इसका सामान्य अर्थ है क्रियाशील रहने के कारण ही नारी हुई। जो गति करे, हलचल करे वह नर एवं नारी। किन्तु ऋग्वेद में नृ का प्रयोग नेतृत्व करने, दान देने और वीरता करने के अर्थ में किया गया है। वेंदों में तो नारी के गौरव का अनेक प्रकार से वर्णन है। एक स्थान पर नारी को ब्राह्मण कहा गया है। **''स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ'' (ऋग्वेद** 8133/19) इसका अभिप्राय यह है कि वह स्वयं विदुषी होते हुए अपनी संतान सुशिक्षित बनाती है। जिस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का अधिवक्ता यज्ञ का संचालन कर्ता, तथा ज्ञान विज्ञान में सर्वोत्कृष्ठ होने के कारण सर्वोच्च माना जाता है, उसी प्रकार नारी पर में सम्पूर्ण कार्यों के निर्वाहन, पुत्रादि का पालन पोषण करने के कारण ब्रहम कहा गया है।

ऋग्वेद के दशम् मण्डल के 109 उक्त में शची वर्णन आता है। वह कहती हैं – अहं केतुरहं **मूर्धामुग्रा** विवचिनी। ममेदनु क्रतुँ पतिः सेहनाया उपाचरेत्।। 10/59/2 अर्थात् – मैं ज्ञान में अग्रगण्य हूँ। मैं उच्चकोटि की वक्ता हूँ। मुझ विजयिनी की इच्छानुसार ही मेरा पति आचरण करता है।

IJSRST1965 | Received 09 Sep 2019 | Accepted : 30 Sep 2019 | September-October-2019 [6 (5) : 85-90]

वेदों में नारी को ही घर कहा गया है।

जायेदस्तं मधवन्त्सेदु योनि स्तदित्वा हरयो युक्ता वहन्तु।। ऋग्वेद 3/53/4

अर्थात् घर, घर नहीं है। अपितु गृहिणी ही गृह है। गृहिणी के द्वारा ही गृह का अस्तित्व है। यही भाव एक संस्कृत सुभाषित में कहा गया है कि गृहिणी ही घर हैं ''न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गहमुच्यते''।

स्त्री को सरस्वती का रूप मानते हुए अथर्ववेद में कहते है कि–

प्रतिष्ठा विराडसि, विष्णुरिवेह सरस्वति। सिनीवालि प्र जायताँ, भगस्य सुमतावसत्।। अथर्ववेद–14/2/115

हे नारी/ तुम यहाँ प्रतिष्ठित हो। तुम तेजस्विनी हो। हे सरस्वती! तुम यहाँ विष्णु के तुल्य प्रतिष्ठित होना। हे सौभाग्यती नारी! तुम सन्तान को जन्म देना और सौभाग्य देवता की कृपा दृष्टि में रहना।
स्त्री की प्रतिष्ठा अपने गुणों और योग्यता के आधार पर ही है।

स्वैर्दक्षेर्दक्षपितेह सीद, देवाना सुम्ने बृहते रणाय। यजु 14/3

हे नारी! तुम यहाँ प्रतिष्ठित हो। तुम तेजस्विनी हो। हे सरस्वती ! तुम यहाँ विष्णु के तुल्य प्रतिष्ठित होना। हे सौभाग्यवती नारी! तुम सन्तान को जन्म देना और सौभाग्य देवता की कृपा दृष्टि में रहना।
स्त्री की प्रतिष्ठा अपने गुणों और योग्यता के आधार पर ही है।

स्वैर्दक्षेक्षपितेह सीद, देवाना सुम्ने बृहते रणाय। यजु। 14/3

हे नारी ! तुम अपनी योग्यता से ज्ञान का कोश होकर, देवों के कल्याण तथा महान आनन्द के लिए इस घर में रहो।
वेदों की ही तरह ब्राह्मण ग्रन्थों में भी नारी का गौरव वर्णित है। यहाँ नारी को सवित्री कहा गया है–

''स्त्री सावित्री''। जैमिनीय उप. ब्रा. 25/10/17

तैत्तिरीय ब्राह्मण में नारी को आत्मा का अर्द्धभागकहा गया है।

अर्धो वा एष आत्मनः यत पत्नी।

तैतिरीय ब्राह्मण में ही कहा गया है कि–
नारी के बिना यज्ञ अपूर्ण है। नारी के बिना सप्तनीक यज्ञ करें। तैत्ति. ब्रा. 3/3/3/5

अयज्ञों वा एषः योप्त्नीकः। तैत्ति. ब्रा. 2/2/2/6
शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है कि– **यावत जयाँ न विन्दते, असर्वो हि तावद् भवति। शतपथ ब्रा. 5.2.1. 10.** अर्थात् पत्नी के बिना जीवन अधूरा है। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्यण का वाक्य है।
जाया गार्हपत्यः (अग्निः) ऐत. ब्रा. 8.24– पत्नी गार्हपत्य अग्नि हैं। शतपथ ब्राह्यण में स्त्री के अपमान को निन्दीय का माना गया है–

न वै स्त्रिंय हनन्ति। शत. शत.ब्रा. 11.4.3.2
तैत्तिरीय ब्राह्मण के मतानुसार **श्रिया वाएतद् रूप्यं यत् पत्नयः। 3/9/4/7** उपनिष्द्कारों ने तो नर और नारी में भेद तत्व को स्वीकार नहीं किया। एक ही तत्व से उत्पन्न तथा एक ही चेतना की छाया रूप को स्वीकार करते हैं।

ये सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योन्तरोा यं सर्वणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरों यमयत्येषु न आत्मान्त्याभ्यतमृतः।
वृहदारण्यक उपनिषद् 3/7/15 ये सब भूतों में रहता हुआ भी सबसे पृथक है, जिसे सारे भूत नहीं जानते। सारे भूत जिसका शरीर है, जो सब भूतों में स्थित होकर उनका नियन्त्रण करता है। वह तेरी आत्मा हैं वह सब में व्याप्त है और किसी भी विशेष अविशेष नहीं है।
स्मृतिकारों ने नारी को विशेष सम्मान देने की बात करते हुए कहते है कि

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः।। मनु 3।56
अर्थात् जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ इनका सम्मान नहीं होता, वहाँ प्रगति, उन्नति की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं।
पुनः स्मृतिकार कहते हैं कि–

यदि कुलोन्नयने सरसं मनो, यदि विलासकलासु कुतूहलम्। यदि निजत्वमभीप्सितमकेदा, कुरू सताँ श्रुतशीलवर्ती तदा।।
अर्थात् यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुल की उन्नति हो। यदि तुम्हे ललित कलाओं में रूचि है। यदि तुम अपना और अपनी सन्तान का कल्याण करना चाहते हो तो अपनी कन्या को विद्या धर्म और शील से युक्त करो।
पारस्कार गुह्यसूत्र में स्त्रियों की गौरवमयी गाथ इस प्रकार वर्णित किया गया है। **तामद्य गाथाँ गास्यामि ता स्त्रीगाामुक्तमं यश इतिः। पार. गृह्य. 1.7.2।**
वृहत्संहिता पुरूषाणाँ सहस्रं च सती समुद्धेरत।
'' अर्थात् सती स्त्री अपने पति का ही नहीं, अपने उत्कृष्ट आचरण की प्रत्यक्ष प्रेरणा से सहस्रों पुरूषों का उद्धार यानि श्रेष्ठता की दिशा का मार्गदर्शन करती है।
व्यास संहिता में वर्णित है कि– **यायन्त विन्दते जायाँ तावद धोंभवेत पुमान्**
पत्नी की प्रप्तित के पुरूष अधुरा है।

मार्कण्डेय पुराण में सभी स्त्रियों को आदि शक्ति का ही स्वरूप स्वीकार किया गया है।

विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु।।

अर्थात् समस्त स्त्रियाँ और समस्त विधाएं देवी रूप ही हैं।

श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी ने पुत्रेष्टि यज्ञ के अवसर पर कन्या उत्पन्न होने की याचना की थी। **तत्रश्रद्धा मनोः पत्नी होतांर समयाचत्। दुहिर्त्रथमुपागम्य प्रणिपत्य प्रयोवता।। श्रीमद्भागवत् 9।1।14**

इसी से इला की उत्पत्ति हुई।

ब्रह्मवैवर्त पुराण में राजा कुशध्वज की पत्नी मालावती से उत्पन्न वेदवती नामक कन्या का वर्णन है जो बाल्यकाल से ही वेदों के उच्चारण में कुशल थी–

वेदध्वनिं सा चकार, जातमात्रेण कन्यका। तस्माताँ ते वेदवर्ती प्रवदन्ति मनीषिणः।।
सततं मूर्ति मन्तष्च, वेदाष्च चत्वार एवं च। सन्ति यस्याष्च जिह्वाणे, साच वेदवती स्मृता।। ब्रह्ममैवर्त, प्रकृति अ.14

तंत्र शास्त्र मेंनारी को शिव की शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। शक्ति आगमतन्त्र के तारा खण्ड में कहा गया है।

नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलोक्य रूपिणी। नारी त्रिभुवनादारा, नारी शक्ति स्वरूपिणी।।
शक्ति आगम तन्त्र, ताराखण्ड शक्ति तंत्रागम में नारी के विषय में पुनः कहते है कि–
न च नारी समं सौख्यं, न च नारी समागति, न च नारी सह्नशं भाग्यं, न च भूतो न भविष्यति।
न च नारी हदृषं राज्यं, न च नारी सह्नशं तपः, न च नारी हदृषं तीर्थ, न भूतं न भविष्यति।
न नारी सदृषों योगो, न नारी सदृषों जपः न नारी सदृषों योगो, न भूतो न भविष्यति।
न नारी सदृषों मन्त्रः न नारी हदृषं तपः न नारी हदृषं वित्तं, न भूतो न भविष्यति। – शक्ति आगम तन्त्र, ताराखण्ड 13.46,48

वैदिक कालीन समाज में नारी को वो सारे अधिकार प्राप्त था। जिसकी वकालत आज के नारीवादी हितैषी किया करते हैं। जैसे–

1. **शिक्षा प्राप्ति का अधिकार।**

   अथर्ववेद में कन्या द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्ति का उल्लेख मिलता है।[5] कौषिकी ब्राह्मण में अनेक विदुषी स्त्रियों का वर्णन प्राप्त होता है।[6] पणिनि ने तो महिला शिक्षण विद्यालयों का उल्लेख किया है। जिसमें शिक्षा ग्रहण केवल महिलाएँ ही किया करती थीं। इसी प्रकार अष्ठाध्यायी पर लिखी काशिकावृत्ति में आचार्या एवं उपाध्याय शब्दों की व्युत्पत्ति प्राप्त होती है।

   छान्न्यादयः शालायाम् – 6/2/86
   काशिका वृत्ति – 4/1/59, 3/21

2. स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति तथा काव्य सृजन का अधिकार–

अतिकुल की विश्वारा – ऋग्वेद 5/28
अपालासिक्ता निवावरी – ऋग्वेद 8/91
घोषा निवावरी – ऋग्वेद 10/39–40

3. युद्ध में प्रतिभाग लेने का अधिकार

विश्पला नामक स्त्री के युद्ध में घायल होने का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।[7] महिलाओं को युद्ध क्षेत्र में अपना रण कौशल को दिखाने की पर्याप्त स्वतंत्रता थी। महिलाओं को युद्ध संचालन सेना को नेतृत्व प्रदान करने, रणनीति तैयार करने की पर्याप्त छूट थी। युद्ध के समय नीति निर्धारण में भी परामर्श देती थी तथा पुरूष उसका अनुसरण भी करते थे। इसकी पुष्टि हम रामायण में कैकेयी तथा महाभारत में शिखण्डी के उदाहरण से स्पष्ट होता है।

स्मृतियों में 8 प्रकार के विवादों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक स्त्री को प्राचीन काल में अपने पसंद के अनुसार वर चूनने की स्वतंत्रता थी। स्वयंवर तथा शास्तार्थ के द्वारा नारी अपनी योग्यता के अनुसार वर का चुनाव करती थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि–''कन्या सुन्दर एवं आभूषित हो तो वह स्वयं पुरूषों के झुण्ड से अपना वर ढूंढ सकती है।''[8]

पत्नी के रूप में वह गृहस्थ जीवन के सभी धार्मिक कृत्यों को करने की वह अधिकारिणी थी। वह अपने पति के साथ मिलकर धार्मिक कार्यों को सम्पादित करती थी।[9] तैतरीय ब्राह्मण के अनुसार पत्निहीन पुरूष यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था।[10] पत्नी को आर्थिक अधिकार भी प्राप्त थे। वह पति की सम्पत्ति में अधिकारिणी होती थी। ऋग्वेद कालीन समय में स्त्री को उसके पति की मृत्यु के उपरान्त विधवा पुर्नविवाह का अधिकार प्राप्त था। पति के शव के पास बैठी शोक विह्वल स्त्री से कहा गया है कि–

उदीर्ष्व नार्याभि जीवलोक गता सुमेतमुप शेष एहि।
हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि संवभूथ।।[11]

श्रौत काल में स्त्रियाँ, पुरूषों के समान अनेक कार्यों को करने की अधिकारिणी थी। स्त्री की प्रशासनिक कुशलता को शंखायन ब्राह्मण में इस प्रकार व्यक्त किया गया है–

मृहान् गच्छ मृहपत्नी यथासो वशिनी एवं विदथमा वदासि।

अर्थात् हे सूर्या! तुम श्रेष्ठ गृहिणी बनी और पतिग्रह में निवास करती हुई भृत्यादि पर शासन करो।

आर्थिक रूप से नारी सम्पन्न एवं सामर्थ्यवान थी। उसको सम्पत्ति सम्बधित विविध अधिकार प्राप्त थे। पति के द्वारा विवाह के समय यह शपथ ली जाती थी। कि वह पत्नि के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

अर्थवेद 10.30.5, 12.3.14 मधुशास्त्री "Status of Hindu Women" से उद्धृत। नारी की सुदृढ़ आर्थिक स्त्रीधन की व्यवस्था थी। विवाह के समय स्त्री को जो उपहार प्राप्त होते थे। उस पर स्त्री का एकाधिकार होता था, इसे ही स्त्रीधन कहते थे। इस सम्पत्ति को वेदों परीणाह्य कहा गया है। इसका संकेत तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है।

''पत्नी वै परिणाह्यस्य ईशः''

अर्थवेद विधवा स्त्री हेतु ही धन की व्यवस्था की गई है। पुत्रियाँ पुत्र की भाँति पिता की सम्पत्ति में अधिकार रखती थी। वह कन्या जो अविवाहित होकर के पिता के घर में रहती थी। उनको भी पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त था। यह सभी सकेंत नारी की आर्थिक सफलता को व्यक्त करता है।

(ऋग्वेद 10.85.13 तथा 38)
(अर्थवेद 14.1.13)

वैदिक कालीन नारी संन्यासिनी विधान निर्मात्री के दौत्य कर्त्री ज्योतिर्विद्, प्रशिक्षिका, भूगर्भविद् आदि के रूप में विराजमान थी। वह पुरूष के साथ समत्तव रूप में जीवन यापन करती थी। तत्कालीन समाज में नारी कें सहनशीलता सौम्यता, सौष्ठवता आदि गुणों की प्रशंसा की गई है। नारी को अनेक महत्वपूर्ण विशेषणों यथा अमृतरसदायनी कहा गया है। नारी को को सत्य वचनों की प्रेरक तथा सद्सम्मति प्रदान करने वाली बताया गया है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के 85 वें सूक्त में उसको सम्राज्ञी जैसे सम्मान–सूचक पदो से अलंकृत किया गया है।

''सम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवृषु।।''

अतः संहिता कालीन नारी उच्चतम प्रतिष्ठा की अधिष्ठात्री तथा विभिन्न अधिकारों की अधिकारिणीं थी। वैदिक युग में नारी एवं पुरूष दोनों समत्तव भाव के कारण अर्द्धनारीश्वरत्व की संकल्पना को साकार करते हुए दृष्टिगोचर होते है।